समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या–04/2014–15

बाढ़ आपदा से निपटने एवं बचाव कार्य के लिए पूर्णियाँ जिले में पॉलीथीन सीट्स की आवश्यकता के मद्देनजर इस कार्यालय के ज्ञापांक–234/आ0प्र0, दिनांक–20.05.2014 द्वारा निविदा संख्या–01/2014–15 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराया गया था, जिसमें निविदा की कार्रवाई दिनांक–10.06.14 को निर्धारित की गई थी। उक्त निविदा की कार्रवाई की तिथि को मात्र एकल निविदा पाये जाने के कारण निविदा की कार्रवाई नही हो सकी।

पुनः दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदादाताओं को मो0–10,000.00 (दस हजार) रूपये अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से विकलनीय होगा। निविदा प्राप्ति की **अंतिम तिथि** 21/7/14 **को अपराह्न 2 बजे तक आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ के कार्यालय में निबंधित डाक अथवा सीधे डाली जा सकती है। इसी दिन 3 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी,** जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

पोलीथीन सीट्स का विवरण

क्र0	आकार	आपूर्ति किये जाने वाले समाग्री का नाम	गुणवत्ता	मात्रा
1	4mx5m	पोलीथीन सीट्स	Low density Polyethylene फिल्म ग्रेड–030 मोटाई–250 Micron (ISI) Black sheets	10,000 (दस हजार) सीट्स

निविदा की आवश्यक शर्त्तें :–

1. निविदादाता को पोलीथीन सीट्स की आपूर्ति DGS&D द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानको के अनुरूप करना होगा तथा पोलीथीन का सेम्पल संलग्न करना होगा। आपूर्त्ति की जानेवाली पॉलीथीन सीट्स DGS&D द्वारा निरीक्षित तथा प्रमाणित होना चाहिए।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर/TIN नम्बर/अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र/दूकान की अनुज्ञप्ति/अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. अनुभव प्रमाण–पत्र वाले निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति में प्राथमिक्ता दी जाएगी।
6. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।

7. निविदा निक्षेपण के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष सामग्री के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।

8. सामग्रियों की आपूर्त्ति पहले मुख्यालय में करनी होगी तथा आपूरित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता के जॉचोपरान्त आवश्यकता अनुसार अंचलों में आपूर्त्ति करनी होगी। इसके लिये आपूर्त्तिकर्त्ता को परिवहन भत्ता देय नही होगी।

9. निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि सामग्रियों के नमूने के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगें। बिना नमूने वाले निविदादाताओं की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वीकृत निविदादाताओं को एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा की आपातकालीन परिस्थिति में अल्पकालीन सूचना पर स्वीकृत दर के अनुसार सामग्रियों की आपूर्त्ति निश्चित रूप से कर देगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरूद्व कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

10. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्त्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

11. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा

12. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

13. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ जिला से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट **dm.purnea.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

14. आपूर्त्ति की गई सामग्रियों के विरूद्व भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियामानुसार वैट/आयकर की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।

15. बिहार से बाहर अवस्थित कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता से पॉलीथीन सीट्स आपूर्त्ति किया जायेगा, उन्हें बिहार सेलटैक्स में पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है।

16. आपातकालीन परिस्थिति में अल्पकालीन सूचना पर स्वीकृत दर के अनुसार सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं की जाती है तो निर्गत आपूर्ति आदेश को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा तथा इनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है।

17. पोलीथीन सीट्स आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम देय नहीं होगा।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियॉ।

ज्ञापांक........................../आ0प्र0, पूर्णियॉ, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियॉ जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, पूर्णियॉ/नगर पंचायत कसबा एवं बनमनखी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियॉ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियॉ/नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्णियॉ/सहायक वाणिज्यकर आयुक्त, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियॉं को विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, N.I.C पूर्णियॉं/आई0 टी0 मैनेजर, पूर्णियॉं को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पूर्णियॉं जिला के अधिकारिक वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र पूर्णियॉं को सूचनार्थ प्रेषित। समाग्री आपूर्ति होते ही आप इसके गुणवत्ता एवं विशिष्टयों की मानक जॉंच कर समाग्री के संबंध में प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णियॉं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को निविदा आदेश की पॉंच प्रति एवं सी0डी0 एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियॉं।

ज्ञापांक 326 /आ0प्र0, पूर्णियॉं, दिनांक 15.07.14

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है अपने–अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियॉं प्रमंडल, पूर्णियॉं को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियॉं।